FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

.... मुकदमा ....

.... बनाम ....

.... नं .... सन् ....

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्रतिवादीगण हेतु दिनांक 23/5/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) SDO	
23/5/22 अभिभावक मण्डल से कार्य स्थगित किया दिनांक 20/7/22 को पेश हो (हस्ताक्षर) रीडर	
20/7/22 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी सं. 11 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। ~~एक~~ परोकार सरकार उप०। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 03/08/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) SDO	
03/08/22 आज यह पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील वादी ने निवेदन किया कि हाल खाता संख्या	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13/12/21	आज ... से राज्य सरकार के निर्देशों की पालना ... पंचायत...बीलपुर(बेड़ा)... में दिनांक...15/12/21... को पेश होने वाले ... पेश ... कोर्ट/राजस्व लोक अदालत ... ग्राम प... बीलपुर(बेड़ा) में उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी हो। ...15/12/21..... को कैम्प कोर्ट/ राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत..बीलपुर(बेड़ा) पेश हों। उपखण्ड अधिकारी रैणी जिला अलवर 55 आराजी खसरा नम्बर 139/ 0.05, 220/0.41, 312/0.51 कुल किता 3 रकबा 0.97 है० खाता संख्या 63 आराजी खसरा नम्बर 105/0.26, 107/428/0.09, 108/ 0.44, 108/429/0.44, 109/0.44, 109/430/0.44, 126/0.35, 127/ 0.27, 128/0.27, 129/0.09, 130/ 0.41, 161/0.08 कुल किता 12 रकबा 3.58 है० वाके ग्राम भीलपुर (बेड़ा) व (खाता संख्या 362 आराजी खसरा नम्बर 1558/1.25 वाके ग्राम डगडगा

Form No. III

APP A
Crime I

फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत ______ मुकाम ______

______ बनाम ______

किस्म मुकदमा ______ नं. ______ सन् ______

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तहसील रैणी जिला अलवर का तकासमा / बंटवारा कराना चाहते हैं। उक्त विवादित आराजी में लड़ाई-झगड़े होंगे, इसलिए जब तक विवादित आराजी का विधिवत् तकासमा / बंटवारा न हो जाये तब तक रिकॉर्ड एवं मौके की आस्थाई निषेधाज्ञा बनाये रखने का निवेदन किया है। विद्वान वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया विचाराधीन प्रकरण विवादित आराजी दोनो पक्षकारान की सहखातेदारी की भूमि है। सहखातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर कब्जा माना जाता है। विभिन्न उच्च अदालतो द्वारा समय-समय पर अभिनिर्धारित किया गया है कि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एक सहखातेदार संयुक्त खाते की आराजी में दूसरे सहखातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही करवा सकता। चूंकि प्रतिवादीगण भी के सहखातेदार है तथा आराजी का अभी तक विभाजन नही हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण वादी के पक्ष में साबित नही होता है। अपूर्णीय क्षति - जैसा कि ऊपर विवेचित किया जा चुका है कि विवादित आराजी में वादी का प्रथम दृष्टया प्रकरण नही बनता है। और प्रतिवादी भी के सहखातेदार है। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है तो निश्चित रूप से प्रतिवादीगण के ही अधिकारो का हनन होगा जिससे अपूर्णीय क्षति भी प्रतिवादीगण को ही होगी। इस प्रकार अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रतिवादीगण के पक्ष में निहित है। सुविधा का संतुलन - चूंकि अस्थाई निषेधाज्ञा के उपरोक्त दोनो बिन्दु प्रतिवादीगण के पक्ष में निहित है। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को रोका जाता है तो उसके अधिकारो	

मुकदमा

नाम अदालत

बनाम

नं. _______________ सन् _______________

किस्म मुकदमा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जिससे प्रतिवादीगण को ही असुविधा कारित होने की सम्भावनाओ से इनकार नही किया जा सकता। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रतिवादीगण के पक्ष में निहित है।	
	उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।	
	अतः प्रा० पत्र 212 RT Act न्यायहित में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रजिस्टर से कम की जावे। संलग्न मुलाहिज है।	
	(हस्ताक्षर) SDO	